

सरोज कुमारी

शोधार्थी (राजनीति विज्ञान)

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (राज.)

डॉ. नवीन तिवाड़ी

प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान)

डॉ. बी.आर.अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.)

सारांश

लोकतंत्र विश्व की विशाल, सुन्दर और प्राचीनतम व्यवस्था है, जिसमें समस्त नागरिकों को समान अधिकार प्रदत्त है, जिसे हम लोकतंत्र की जीत भी कह सकते हैं। यदि हम कानूनी दायरे में हैं तो प्रत्येक कार्य की स्वतन्त्रता हमें प्राप्त है। लोकतंत्र बहुमत का शासन है लेकिन साथ ही अल्पसंख्यकों की गरिमा भी बनाए रखना और सुरक्षित रखना हमारा संविधान गारन्टी देता है। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुशंसा करता है। आज यह वर्ग शिक्षा और आर्थिक अवसरों व संसाधनों की कमी के कारण अत्यधिक प्रभावित है। कई चुनौतियाँ धार्मिक, कानूनी, न्यायिक आदि इनके समक्ष है, साथ ही आवश्यकता इनके लिए भावी सम्भावनाओं की खोज कर इनके लिए विशेष योजनाओं को कार्यान्वित कर इन्हें लाभान्वित किया जा सकता है। मेरा शोध पत्र इसी विचार को प्रस्तुत करते हुए इनकी चुनौतियाँ और भावी सम्भावनाएँ व्यक्त करता है।

मूल शब्द: भारत, संविधान, लोकतंत्र, भविष्य, कानून, अल्पसंख्यक, अधिकार, अनुशंसा

प्रस्तावना

लोकतांत्रिक देशों में भारत का नाम अग्रणी है। 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होते ही भारत लोकतन्त्रात्मक के साथ गणतन्त्रात्मक राष्ट्र बन गया। इसी संविधान में हमारे लोकतंत्र की सम्पूर्ण व्याख्या की गयी है। जनता की सर्वोच्च सहभागिता, उत्तरदायी सरकार, जनता के अधिकारों की सुरक्षा, वयस्क मताधिकार समानता, स्वतन्त्रता और निष्पक्ष न्याय, राजनैतिक दलों और दबाव समूहों की उपस्थिति आदि, ये सभी हमारे भारतीय लोकतंत्र के मौलिक लक्ष्य हैं इसके साथ ही संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की भी गारन्टी देता है। सामान्यतः अल्पसंख्यक से अभिप्राय यह है कि वो समूह जो धर्म, भाषा एवम् जाति की दृष्टि से संख्या में कम और बहुसंख्यक समुदाय से अलग होते हैं। अपने समान गुणों के कारण एकजुटता भी इनमें पायी जाती है। इनकी

(March 2023) भारतीय लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकार : चुनौतियाँ और भावी सम्भावनाएँ

International Journal of Economic Perspectives, 17(03) 357-364 UGC CARE II

Retrieved from <https://ijeponline.com/index.php/journal>

आबादी भी नगण्य होती है, पांच धार्मिक समुदाय वे हैं— मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय जिन्हें संविधान में अधिसूचित किया गया।

अल्पसंख्यक अधिकारों का तात्पर्य है कि समाज के विशेष समूह जो अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, बिना किसी भेदभाव के उनके प्रति सम्मान दिखाया जाए इस प्रकार अल्पसंख्यक अधिकारों के संदर्भ में नस्लीय, जातीय, वर्गीय, धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को सामान्य व्यक्तिगत अधिकार दिए जाते हैं। ये अधिकार लोकतांत्रिक राष्ट्रों में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के दबाव को रोकने में सहायक होते हैं। UNO द्वारा भी इनके अधिकारों को अन्तरराष्ट्रीय कानून में समाहित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं अर्थात् अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा या लिपि को संरक्षित करने का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। साथ ही भारतीय न्यायपालिका को बाध्य किया गया है कि इन अधिकारों की रक्षा करें, उन्हें बढ़ावा दें। प्रत्येक वर्ष 18 दिसम्बर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है।

इस प्रकार भारतीय संविधान A-14 भारतीय नागरिकों को कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही A-15 ये भी अधिकार देता है कि भारत में धर्म मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। लेकिन यदि हम वास्तविकता पर देखें तो इनके समक्ष चुनौतियाँ भी काफी हैं जैसे—

1. धार्मिक ध्रुवीकरण

देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण और धार्मिक तनाव अल्पसंख्यकों के अधिकारों को चुनौती देते हैं, खासकर चुनावों के दौरान।

2. सामाजिक भेदभाव

अल्पसंख्यकों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा और सामाजिक भेदभाव की घटनाएं उन्हें असुरक्षा का अनुभव कराती हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण पर असर पड़ता है।

3. शिक्षा और आर्थिक अवसरों की कमी

(March 2023) भारतीय लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकार : चुनौतियाँ और भावी सम्भावनाएँ

International Journal of Economic Perspectives, 17(03) 357-364 UGC CARE II

Retrieved from <https://ijeponline.com/index.php/journal>

अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से मुस्लिम और ईसाई, में शिक्षा और आर्थिक अवसरों की कमी उनके विकास और सशक्तिकरण को प्रभावित करती है।

4. कानूनी और न्यायिक चुनौतियाँ

कई बार अल्पसंख्यकों के मामलों में कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी या निष्पक्षता की कमी उनके अधिकारों की रक्षा में बाधा बनती है।

5. धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप

कुछ अल्पसंख्यक समुदायों को अपने धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं का पालन करने में प्रशासनिक या सामाजिक अवरोधों का सामना करना पड़ता है।

चुनौतियों का प्रभाव

एक लोकतांत्रिक, बहुलवादी राजनीति में अल्पसंख्यक अधिकार जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा है कि "कोई भी लोकतंत्र लम्बे समय तक जीवित नहीं रह सकता है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की मान्यता को अपने अस्तित्व के लिए मौलिक नहीं मानता है।" संविधान निर्माण के समय और आज की परिस्थितियों में अंतर है। आज इनके सम्मुख जो चुनौतियाँ हैं उसका प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है— जैसे—

1. शैक्षिक अवसरों की कमी का प्रभाव

अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई बार उनके खिलाफ पूर्वाग्रह के कारण उन्हें शिक्षा में बराबरी का अवसर नहीं मिलता। यह भेदभाव शैक्षिक वातावरण, शिक्षक व्यवहार, और प्रवेश नीतियों में देखा जा सकता है, जिससे उनकी शैक्षिक प्रगति प्रभावित होती है। इससे उनके अधिकार, विशेष रूप से अनुच्छेद 21A (मौलिक शिक्षा का अधिकार) का उल्लंघन होता है।

2. आर्थिक अवसरों की कमी का प्रभाव

सामाजिक भेदभाव के कारण अल्पसंख्यक समुदायों को रोजगार के क्षेत्र में भी असमानता का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर नौकरी देने में प्राथमिकता नहीं दी जाती, या उनके खिलाफ अनदेखी की जाती है। सरकारी नौकरियों में या निजी क्षेत्र में भी भेदभावपूर्ण नीतियाँ उनके आर्थिक सशक्तिकरण में बाधा डालती हैं। इससे उनका अनुच्छेद 16 (रोजगार में समान अवसर) का अधिकार कमजोर होता है।

3. राजनीतिक बहिष्कार

सामाजिक भेदभाव के कारण अल्पसंख्यक समुदायों को राजनीतिक रूप से भी हाशिये पर रखा जाता है। उनकी समस्याओं और मुद्दों पर राजनीतिक दल या सरकारें पर्याप्त ध्यान नहीं देतीं। इससे उनके राजनीतिक अधिकार कमजोर होते हैं और वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी नहीं कर पाते।

4. मानसिक और भावनात्मक आघात

सामाजिक भेदभाव का प्रभाव अल्पसंख्यक समुदायों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। उनके प्रति निरंतर नकारात्मक दृष्टिकोण और असहिष्णुता के कारण वे असुरक्षा, हीन भावना और समाज से अलगाव का अनुभव करते हैं। यह उनके आत्मसम्मान और मनोबल को कमजोर करता है, जिससे उनकी समग्र व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति बाधित होती है।

5. सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन

सामाजिक भेदभाव से अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों का भी हनन होता है। उनके धार्मिक उत्सवों, परंपराओं, और रीति-रिवाजों का उपहास उड़ाया जाता है या उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता। इससे उनकी सांस्कृतिक पहचान कमजोर होती है और उन्हें अपनी परंपराओं को बनाए रखने में कठिनाई होती है। इससे उनका अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में प्रदत्त अधिकारों का हनन होता है।

सामाजिक भेदभाव अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को गंभीर रूप से कमजोर करता है और उन्हें समाज में समान अवसरों से वंचित करता है। यह न केवल उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है, बल्कि उनकी सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करता है। इस चुनौती से निपटने के लिए समाज में समावेशी दृष्टिकोण, संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, और सशक्त कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है।

धार्मिक ध्रुवीकरण

धार्मिक ध्रुवीकरण अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए कई प्रकार से चुनौती प्रस्तुत करता है। इसका असर सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी क्षेत्रों में देखा जा सकता है।

सांप्रदायिक तनाव और हिंसा

धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अल्पसंख्यक समुदायों के लोग असुरक्षा महसूस करते हैं और कई बार अपने धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का प्रयोग करने से हिचकते हैं। हिंसा या धमकियों के कारण उनकी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है, जो संविधान द्वारा सुरक्षित है।

राजनीतिक बहिष्कार

धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण, कुछ राजनीतिक दल अल्पसंख्यकों को राजनीतिक प्रक्रिया से अलग-थलग करने की कोशिश करते हैं। यह अल्पसंख्यकों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कम करता है, जिससे उनके मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। धार्मिक आधार पर वोट बैंक की राजनीति अक्सर अल्पसंख्यकों को 'अन्य' के रूप में चित्रित करती है, जिससे उनके नागरिक अधिकार कमजोर पड़ते हैं।

विभाजनकारी नीतियां

धार्मिक ध्रुवीकरण के चलते ऐसी नीतियां बनाई जा सकती हैं जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कुछ कानून या सरकारी योजनाओं का भेदभावपूर्ण क्रियान्वयन हो सकता है, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों को समान अवसर नहीं मिलते।

सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव

धार्मिक ध्रुवीकरण से समाज में अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत और असहिष्णुता बढ़ सकती है, जिससे सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं में भेदभाव का सामना कर सकते हैं। इससे उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर असर पड़ता है।

धर्म के आधार पर ध्रुवीकृत मीडिया और विचारधाराएँ

धार्मिक ध्रुवीकरण से जुड़ा मीडिया और प्रचार अक्सर अल्पसंख्यकों के बारे में गलत धारणाएँ फैलाता है। इससे उनके खिलाफ नकारात्मक विचारधारा और पूर्वाग्रह बढ़ता है, जिससे अल्पसंख्यक अपने ही देश में अलग-थलग महसूस करते हैं और उनकी आवाज दबाई जाती है।

संवैधानिक अधिकारों का हनन

अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का हनन तब होता है जब बहुसंख्यक समुदाय के धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक रूप से तूल दिया जाता है। धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण संविधान में दी गई स्वतंत्रता, समानता और धार्मिक स्वतंत्रता जैसी मूल अवधारणाओं को कमजोर करने का प्रयास होता है।

आतंकवाद और सुरक्षा के नाम पर उत्पीड़न

धार्मिक ध्रुवीकरण के परिणामस्वरूप, कभी-कभी अल्पसंख्यक समुदायों को आतंकवाद या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से जोड़कर देखा जाता है। इसके परिणामस्वरूप, अल्पसंख्यकों को कठोर कानूनों के तहत निशाना बनाया जाता है, जो उनकी स्वतंत्रता और न्याय के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

धार्मिक ध्रुवीकरण अल्पसंख्यकों को असुरक्षित और हाशिये पर धकेलता है, जिससे उनके नागरिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार खतरे में पड़ जाते हैं। इसका सामना करने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द, संवैधानिक मूल्यों का प्रचार-प्रसार और न्यायपालिका तथा नागरिक समाज की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण है।

भावी सम्भावनाएँ

अल्पसंख्यकों के चुनौतियों और उसके प्रभाव के परिणामस्वरूप अब आवश्यकता इस बात की है कि दोनों वर्ग (अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक) बिना किसी भेदभाव के आपसी सहयोग के द्वारा सामाजिक एकीकरण का प्रयास करें। अल्पसंख्यकों की समस्याएँ अधिकतर मनोवैज्ञानिक हैं और संविधान समानता की गारन्टी देता है। अतः अपने को भारत का एक अभिन्न अंग मानते हुए राष्ट्रवाद के विचार का सहयोग प्रदान करें। अपने को धार्मिक कट्टरता से न बांधकर सम्पूर्ण विकास की ओर उन्मुख रहें। साथ ही सरकारी नौकरी, शिक्षण संस्थाओं में उचित भागीदारी के अवसर प्रदान करें। दोनों ही वर्ग सांस्कृतिक मेलजोल द्वारा परिचय बढ़ायें ताकि अलगाववादी विचारों को स्थान नहीं मिले।

संवैधानिक सुरक्षा

भारतीय संविधान में मजबूत प्रावधान हैं जो अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों की रक्षा का भरोसा दिलाते हैं। इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन से उनके अधिकारों को मजबूत किया जा सकता है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व

अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाने से उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनका योगदान सुनिश्चित हो सकता है।

शिक्षा और आर्थिक सुधार

अल्पसंख्यकों को शिक्षा और रोजगार में विशेष अवसर प्रदान करने वाले कार्यक्रमों और योजनाओं को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है, जिससे उनका सशक्तिकरण संभव हो सके।

सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहन

अल्पसंख्यक समुदायों की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को संरक्षित करने और प्रोत्साहित करने से राष्ट्रीय एकता और समरसता को बढ़ावा दिया जा सकता है।

सिविल सोसायटी की भूमिका

सामाजिक संगठनों और एनजीओ के माध्यम से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं।

निष्कर्ष

अल्पसंख्यक निदेशालय का गठन 1999–2000 में पिछड़ा वर्ग निदेशालय से किया गया था ताकि अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों, अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध,

(March 2023) भारतीय लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकार : चुनौतियाँ और भावी सम्भावनाएँ

International Journal of Economic Perspectives, 17(03) 357-364 UGC CARE II

Retrieved from <https://ijeponline.com/index.php/journal>

सिक्ख और पारसी से सम्बन्धित मुद्दों पर अधिक केन्द्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके। विभाग का मुख्य कार्य अल्पसंख्यकों के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू करना, छात्रों के लिए विकास के लिए योजनाएं लागू करना, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना और अल्पसंख्यकों के बीच आर्थिक पिछड़ेपन की समस्याओं का समाधान करना है। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय भारत सरकार ने भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के अस्तित्व और विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत की संघ सरकार ने पूरे भारत में अल्पसंख्यकों के अस्तित्व की रक्षा के लिए 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। भारतीय लोकतंत्र के भीतर, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाना अनिवार्य है ताकि देश की विविधता और एकता बनी रहे।

संदर्भ

1. अग्रवाल, डॉ. जी.के. भारत में समाज साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लि. आगरा, पृष्ठ 125, 126
2. तालिका नं. 1 भारत (2007), क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स (प्रा.) लि. नोएडा, पृष्ठ 111, 116
3. तालिका नं. 2, त्रिपाठी, केशरी नन्दन, उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन, बौद्धिक प्रकाशन 154/91 डी. रामानन्द नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, पृष्ठ 138
4. नारायण, राय विभूति (2002), साम्प्रदायिक दंगे व पुलिस, राधा प्रकाशन, पृष्ठ 6
5. मेनस्ट्रीम दिसम्बर, 22-28, 2006, पृष्ठ 31